रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29032025-262090
**CG-DL-E-29032025-262090**

**असाधारण**
**EXTRAORDINARY**

**भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)**
**PART II—Section 3—Sub-section (i)**

**प्राधिकार से प्रकाशित**
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

| | |
|---|---|
| **सं. 169]** | **नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2025/चैत्र 7, 1947** |
| **No. 169]** | **NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2025/CHAITRA 7, 1947** |


## विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

## (बायोटेक्नोलॉजी विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2025

**सा.का.नि. 208(अ).—** राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा बायोटेक्नोलॉजी विभाग (समूह "क" वैज्ञानिक पद) भर्ती नियम, 2018 को अधिक्रांत करते हुए, उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, बायोटेक्नोलॉजी विभाग में समूह "क" वैज्ञानिक पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बायोटेक्नोलॉजी विभाग, (समूह 'क' वैज्ञानिक पद) भर्ती नियम, 2025 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत् त होंगे।

2. **परिभाषा-** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

   **(क)**"संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी" से बायोटेक्नोलॉजी विभाग का सचिव अभिप्रेत है;

   **(ख)**"अभ्यर्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी पद के लिए विचार किए जाने का पात्र है;

**(ग)**"सक्षम प्राधिकारी" से केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है;

**(घ)**"विभाग" से बायोटेक्नोलॉजी विभाग अभिप्रेत है;

**(ड)**"पद" से स्कीम में परिभाषित वैज्ञानिक पद अभिप्रेत है;

**(च)**"अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

**(छ)**"स्कीम" से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी संशोधित नमनीय अनुपूरक योजना अभिप्रेत है, जिसे तारीख 13 मार्च 2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एबी-14017/41/2013-पीपी(आरआर) के अधीन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया है।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जैसा प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

4. **शैक्षणिक अर्हताएं, अनुभव, भर्ती की पद्धति, आदि- (1)** किसी पद के लिए शैक्षिक अर्हताएं वही होगी जो दूसरी अनुसूची के भाग-I में विनिर्दिष्ट हो तथा संबंधित पद के लिए अपेक्षित विशिष्ट अर्हता का निर्णय संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा उन्हें विज्ञापन में प्रदर्शित किया जाएगा।

**(2)** वैज्ञानिक 'एच' के पद के अभ्यर्थी के पास किसी औद्योगिक या शैक्षिक संस्थान या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान से अनुसंधान तथा विकास में अनुभव होना चाहिए जैसा कि दूसरी अनुसूची के भाग-2 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

**(3)** **(क)** वैज्ञानिक-'सी' के पद के लिए भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी।

**(ख)** वैज्ञानिक एच के पद के लिए भर्ती या तो सीधी भर्ती द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर की जाएगी।

**(ग)** संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी पद का विज्ञापन देने से पहले वैज्ञानिक 'एच' की प्रत्येक रिक्ति के लिए नियुक्ति की विशेष पद्धति तय करेगा और विज्ञापन में इसका उल्लेख किया जाएगा।

**(घ)** वैज्ञानिक 'डी', 'ई', 'एफ' और वैज्ञानिक 'जी' के पद पर भर्ती नियम 8 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट विद्यमान ग्रेड में न्यूनतम रेजीडेंसी अवधि पूरी करने पर प्रोन्नति/उन्नयन द्वारा की जाएगी।

**(4)** उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट पद्धति द्वारा की गई कोई भी भर्ती नियम 9 में उल्लिखित समितियों की सिफारिश पर की जाएगी।

**(5)** उप-नियम (4) में निर्दिष्ट समितियां, नियम 4 के उप-नियम (3) के खंड (क) और (ख) के अधीन भर्ती की पद्धति द्वारा भरे गए सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों के साथ आयोजित साक्षात्कार के आधार पर और उप-नियम (3) के खंड (घ) के अधीन भर्ती की पद्धति से भरे गए सभी पदों के लिए विभाग में वैज्ञानिकों के साक्षात्कार और पिछले प्रदर्शन के मूल्यांकन के आधार पर अपनी सिफारिशें करेंगी।

परन्तु उप-नियम (4) में विनिर्दिष्ट समिति पदों पर भर्ती करने के लिए मूल्यांकन या चयन की पद्धति का अनुपालन करेगी, (उप-नियम (1) और (2) के अनुसार विज्ञापित रिक्तियों के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या सहित) जिसे पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित किया गया हो।

5. **आयु-सीमा एवं राष्ट्रीयता - (1)** सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु-सीमा वह होगी जो द्वितीय अनुसूची के भाग-II के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

**(2)** प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने वाले वैज्ञानिक 'एच' के पद के लिए ऊपरी आयु-सीमा अट्ठावन वर्ष होगी।

**(3)** आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख, अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।

**(4)** पदों पर नियुक्ति के लिए केवल भारतीय नागरिक ही पात्र होंगे।

6. **सीधी भर्ती - (1)** द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी, नियम 4 के उपनियम (4) में निर्दिष्ट समिति की सिफारिशों पर, नियम 4 के उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट रीति से सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

**(2)** वैज्ञानिक 'सी' तथा वैज्ञानिक 'एच' के पदों पर सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्त होने वाला प्रत्येक अधिकारी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा।

परन्तु संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि को इस मामले में, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार बढ़ा सकता है।

**(3)** उपनियम (2) के अधीन परिवीक्षा पर नियुक्त अभ्यर्थी के पुष्टिकरण पर नियम 9 के उपनियम (7) में विनिर्दिष्ट विभागीय पुष्टिकरण समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

**7. प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन - (1)** केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों या विभागों या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र या केंद्रीय विश्वविद्यालयों या राज्य विश्वविद्यालयों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त वैधानिक निकायों या संस्थानों के अभ्यर्थियों को नियम 4 के उप-नियम (3) के खंड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियम 4 के उप-नियम (4) और (5) में निर्दिष्ट पद्धति में निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन नियुक्त किया जा सकता है, अर्थात:-

**(क)** अभ्यर्थी द्वितीय अनुसूची में यथाविविनिर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखता हो;

**(ख)** अभ्यर्थी आवेदित पद के समरूप पद धारण करता हो या मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर उक्त पद से ठीक नीचे के पद पर कम से कम पांच वर्ष तक कार्य कर चुका हो;

**(ग)** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की आयु-सीमा नियम 5 के उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुसार होगी।

**(2)** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अधीन केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में प्रतिनियुक्ति पर वर्तमान नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया पांच वर्ष होगी।

**(3)** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश पर रहने या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित रहने के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता रखने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है।

**(4)** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र का अभ्यर्थी नियम 4 के उप-नियम (3) के खंड (ख) और (ग) के अधीन नियम 4 के उप-नियम (4) और (5) में विनिर्दिष्ट तरीके से आमेलन के लिए पात्र होगा।

**8. संशोधित नमनीय अनुपूरक स्कीम के माध्यम से प्रोन्नति – (1)** वैज्ञानिकों की वैज्ञानिक 'डी' से वैज्ञानिक 'जी' ग्रेड तक प्रोन्नति या उन्नयन स्कीम में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार किया जाएगा।

**(2)** वैज्ञानिकों की वैज्ञानिक 'डी' से वैज्ञानिक 'जी' ग्रेड तक प्रोन्नति या उन्नयन नीचे दर्शाई गई न्यूनतम रेजीडेंसी अवधि के अनुसार और स्कीम में विनिर्दिष्ट अन्य उपबंधों का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।

| वेतन-मैट्रिक्स में स्तर | पदनाम | न्यूनतम रेजीडेंसी अवधि प्रदर्शन से जुड़ी हुई है |
|---|---|---|
| स्तर-12 | वैज्ञानिक 'डी' | वैज्ञानिक 'सी' के रूप में 04 वर्ष |
| स्तर-13 | वैज्ञानिक 'ई' | वैज्ञानिक 'डी' के रूप में 04 वर्ष |
| स्तर-13ए | वैज्ञानिक 'एफ' | वैज्ञानिक 'ई' के रूप में 05 वर्ष |
| स्तर-14 | वैज्ञानिक 'जी' | वैज्ञानिक 'एफ' के रूप में 05 वर्ष |

**(3)** वैज्ञानिकों को स्कीम में दिए गए रूपविधान में वार्षिक कार्य रिपोर्ट और वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अनिवार्य रूप से वार्षिक आधार पर भरनी होगी।

**(4)** इस स्कीम के अधीन मूल्यांकन के दो स्तर होंगे, अर्थात् स्तर-1 स्क्रीनिंग (आंतरिक स्क्रीनिंग समिति) और स्तर-2 स्क्रीनिंग (मूल्यांकन बोर्ड/विभागीय विशेषज्ञ समीक्षा समिति), जैसा कि नियम 9 में दर्शाया गया है।

(5) मूल्यांकन वर्ष में दो बार किया जाएगा और उन वैज्ञानिकों, जिन्होंने मूल्यांकन की विनिर्दिष्ट तारीखों अर्थात 1 जनवरी या 1 जुलाई, जैसा भी मामला हो, के अनुसार न्यूनतम रेजीडेंसी अवधि पूरी कर ली है या पूरी कर लेंगे, और जिन्होंने मूल्यांकन की विनिर्दिष्ट तारीखों से पहले की अवधि के लिए न्यूनतम रेजीडेंसी अवधि के वर्षों के बराबर या उससे अधिक वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त कर ली हो या प्राप्त कर लेंगे, इस स्कीम के आधार पर मूल्यांकन के लिए उनके मामलों पर विचार किया जाएगा।

(6) जो वैज्ञानिक स्तर-1 स्क्रीनिंग और स्तर-2 स्क्रीनिंग में से किसी में भी अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, उनका पुनर्मूल्यांकन एक वर्ष के बाद ही किया जाएगा, जब वे कम से कम एक और वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट और वार्षिक कार्य रिपोर्ट प्राप्त कर लेते हैं और इस तरह के पुनर्मूल्यांकन में फिर से स्तर-1 और स्तर-2 स्क्रीनिंग शामिल होगी और उस चरण से शुरू नहीं होगी, जिसमें वैज्ञानिक अर्हता प्राप्त करने में असफल रहे थे।

(7) अगले ग्रेड में प्रोन्नति/उन्नयन के लिए स्कीम के अधीन मूल्यांकन प्रक्रिया केवल तीन बार आयोजित की जाएगी, और उसके बाद, वैज्ञानिक को केंद्रीय सरकार के साधारण कार्मिकों के लिए अनुमोदित संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन स्कीम के अधीन शामिल किया जाएगा।

(8) संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन के अधीन ग्रेड प्रदान किए जाने वाले वैज्ञानिकों पर स्कीम में निर्धारित अगले ग्रेड के लिए विचार किया जाएगा।

(9) इस स्कीम के अधीन प्रबंधन या प्रशासनिक कार्य करने वाले वैज्ञानिकों की प्रोन्नति/उन्नयन पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें केवल संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन के अधीन उन्नयन का लाभ दिया जाएगा।

(10) इस स्कीम के अधीन अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति/उन्नयन के लिए सिफारिश किए गए वैज्ञानिकों की प्रोन्नति/उन्नयन की तारीख वह तारीख होगी जिस दिन सक्षम प्राधिकारी ने प्रोन्नति/उन्नयन को अनुमोदन प्रदान किया था।

(11) संगठन के बाहर छुट्टी या प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारियों को केवल उस तारीख से प्रोन्नति दी जा सकती है जिस तारीख को वे फिर से मूल कैडर में लौटते हैं या पदभार ग्रहण करते हैं।

(12) भूतलक्षी प्रभाव से कोई प्रोन्नति/उन्नयन नहीं किया जाएगा।

(13) वैज्ञानिक 'एफ' के पद पर प्रोन्नति के लिए अनुसंधान और विकास या वैज्ञानिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कम से कम दो वर्ष का क्षेत्रगत अनुभव तथा वैज्ञानिक 'जी' के पद पर प्रोन्नति के लिए पांच वर्ष का अनुभव अनिवार्य होगा।

(14) न्यूनतम रेजीडेंसी अवधि की गणना के लिए छुट्टी की अवधि, प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा आदि पर बिताई गई अवधि पर विचार स्कीम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

9. **समितियों का गठन –** (1) प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों पर सिफारिश करने के लिए एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात::-

| **क्रम सं.** | **पद का नाम** | **चयन समिति की संरचना** |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | वैज्ञानिक 'सी' | 1. विभाग के सचिव - अध्यक्ष-<br>2. विभाग के बाहर से दो विशेषज्ञ, जिन्हें विभाग के सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, जो स्तर-14 से नीचे के अधिकारी नहीं होंगे - सदस्य<br>3. विभाग में प्रशासन के प्रभारी संयुक्त सचिव - सदस्य प्रशासन |
| 2. | वैज्ञानिक 'एच' | 1. विभाग के सचिव - अध्यक्ष -<br>2. अन्य दो वैज्ञानिक विभागों के सचिव, जिन्हें विभाग के सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य<br>3. विभाग के बाहर से वैज्ञानिक गतिविधि के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले दो विशेषज्ञ, जिन्हें विभाग के सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य<br>4. विभाग के सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य प्रशासन |

**(2)** नीचे स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट पदों के लिए अभ्यर्थियों की स्तर-I छानबीन तथा उन्हें सूचीबद्ध करने के लिए नियम 8 के उप-नियम (4) में निर्दिष्ट आंतरिक जांच समिति, जिसकी रिपोर्ट, उप-नियम (3) और (4) में निर्दिष्ट समितियों, जैसा भी मामला हो, के समक्ष रखी जाएगी, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात:-

| **क्रम सं.** | **पद का नाम** | **आंतरिक छानबीन समिति की संरचना** |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | वैज्ञानिक 'डी' से वैज्ञानिक 'एफ' तक के पद पर प्रोन्नति/उन्नयन के लिए | 1. विभाग का सचिव या वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक 'एच' के पद से नीचे के पद पर न हो - अध्यक्ष<br>2. परमाणु ऊर्जा विभाग या अंतरिक्ष विभाग या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का वैज्ञानिक 'जी' या उससे ऊपर के पद का नामनिर्दिष्ट व्यक्ति - विशेषज्ञ सदस्य<br>3. प्रशासनिक पृष्ठभूमि वाला अधिकारी जो स्तर-14 से नीचे का अधिकारी न हो जिसे विभाग के संयुक्त सचिव (प्रशासन) द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो - सदस्य प्रशासन |
| 2. | वैज्ञानिक 'जी' के ग्रेड में प्रोन्नति/उन्नयन के लिए | 1. विभाग का सचिव या वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक 'एच' के पद से नीचे के पद पर न हो - अध्यक्ष<br>2. परमाणु ऊर्जा विभाग या अंतरिक्ष विभाग या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का वैज्ञानिक 'एच' या उससे ऊपर के पद का कोई नामनिर्दिष्ट व्यक्ति - विशेषज्ञ सदस्य<br>3. प्रशासनिक पृष्ठभूमि वाला अधिकारी, जो स्तर-15 से नीचे का अधिकारी न हो जिसे विभाग के सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो - सदस्य प्रशासन |

**(3)** स्तर-2 छानबीन के लिए नियम 8 के उप-नियम (4) के अधीन एक विनिर्दिष्ट मूल्यांकन बोर्ड होगा, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात्:-

| **पद का नाम** | **मूल्यांकन बोर्ड की संरचना** |
|---|---|
| (1) | (2) |
| वैज्ञानिक 'डी' से वैज्ञानिक 'ई' ग्रेड में प्रोन्नति/उन्नयन के लिए | 1. विभाग के सचिव - अध्यक्ष<br>2. विभाग के बाहर से दो विशेषज्ञ, जिन्हें विभाग के सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, जो स्तर-14 से नीचे के अधिकारी नहीं होंगे - विशेषज्ञ सदस्य<br>3. विभाग में प्रशासन के प्रभारी संयुक्त सचिव - सदस्य प्रशासन |

**(4)** स्तर-2 छानबीन के लिए नियम 8 के उपनियम (4) के अधीन विनिर्दिष्ट विभागीय विशेषज्ञता समीक्षा समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात्:-

| **क्रम सं.** | **पद का नाम** | **विभागीय विशेषज्ञ समीक्षा समिति की संरचना** |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | वैज्ञानिक 'एफ' ग्रेड में प्रोन्नति/उन्नयन के लिए | 1. विभाग के सचिव - अध्यक्ष:<br>2. दो अन्य वैज्ञानिक विभागों के सचिव (या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे के पद पर न हो) जिन्हें विभाग के सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो - सदस्य |

| | | |
|---|---|---|
| | | 3. वैज्ञानिक गतिविधि के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले दो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे के पद पर ना हो जिन्हें विभाग के सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो - सदस्य<br>4. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी - कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सदस्य |
| 2. | वैज्ञानिक 'जी' के ग्रेड में प्रोन्नति/उन्नयन के लिए | 1. विभाग के सचिव - अध्यक्ष<br>2. दो अन्य वैज्ञानिक विभागों के सचिव (या उनके प्रतिनिधि जो कम से कम अपर सचिव के रेंक के हों) जिन्हें विभाग के सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो - सदस्य<br>3. वैज्ञानिक गतिविधि के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले दो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जो अपर सचिव के पद के स्तर के हों - सदस्य<br>4. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी जो अपर सचिव के पद से नीचें के पद पर न हो - कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सदस्य |

**(5)** कोई भी व्यक्ति जो विभाग से अनुदान या निधि प्राप्त करता है या जो ऐसे प्राप्तकर्ता का निकट संबंधी है, को इस नियम के अधीन गठित किसी समिति के सदस्य के रूप में आमंत्रित नहीं किया जाएगा।

**(6)** जहां सरकार, स्वायत्तशासी निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों को समितियों के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाता है, वे उस पद से कम से कम एक स्तर ऊपर के हो जिस पर नियम 4 के उप-नियम (3) के अधीन नियुक्ति की सिफारिश की जा रही है।

**(7)** सेवा पुष्टि पर विचार करने के लिए एक विभागीय पुष्टि समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात::-

| क्रम सं. | पद का नाम | विभागीय सेवा पुष्टि समिति की संरचना - |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | वैज्ञानिक 'सी' | 1. विभाग के सचिव या विभाग के वैज्ञानिक 'जी' रैंक के अधिकारी, जिन्हें विभाग के सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो – अध्यक्ष<br>2. विभाग के सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट एक वैज्ञानिक 'जी' रैंक का अधिकारी – सदस्य<br>3. विभाग के बाहर का एक वैज्ञानिक, जो भारत सरकार के अन्य वैज्ञानिक विभागों में वैज्ञानिक 'जी' के रैंक का हो, जिसे संबंधित बाहरी विभाग के सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो – सदस्य<br>4. विभाग में प्रशासन के प्रभारी संयुक्त सचिव - सदस्य प्रशासन |
| 2. | वैज्ञानिक 'एच' | 1. विभाग के सचिव - अध्यक्ष<br>2. सरकारी विभागों में कार्यरत सचिव स्तर के दो वैज्ञानिक - सदस्य |

**10. निरर्हता -** कोई भी व्यक्ति -

**(क)** जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का करार किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है; या

**(ख)** जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह का करार किया है वह उक्त

पदों में से किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

**11. शिथिल करने की शक्ति -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह आदेश द्वारा तथा उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्ति के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

**12. व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

**13. स्कीम के उपबंधों का लागू होना -** नियमों में उल्लिखित न की गई कोई भी बात स्कीम के उपबंधों द्वारा निर्धारित होगी ।

**प्रथम अनुसूची**

**[नियम 2(ख), 2(च), 3 और 9(1)] देखें।**

| क्रम सं. | पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में स्तर |
|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | वैज्ञानिक 'सी' | 31 | साधारण केंद्रीय सेवा (समूह 'क' राजपत्रित) | स्तर-11 (67700-208700 रूपये) |
| 2. | वैज्ञानिक 'डी' | 12 | साधारण केंद्रीय सेवा (समूह 'क' राजपत्रित) | स्तर-12 (78800-209200 रूपये) |
| 3. | वैज्ञानिक 'ई' | शून्य | साधारण केंद्रीय सेवा (समूह 'क' राजपत्रित) | स्तर-13 (123100-215900 रूपये) |
| 4. | वैज्ञानिक 'एफ' | 6 | साधारण केंद्रीय सेवा (समूह 'क' राजपत्रित) | स्तर- 13ए (131100-216600 रूपये) |
| 5. | वैज्ञानिक 'जी' | 1 | साधारण केंद्रीय सेवा (समूह 'क' राजपत्रित) | स्तर- 14 (144200-218200 रूपये) |
| 6. | वैज्ञानिक 'एच' | 4 | साधारण केंद्रीय सेवा (समूह 'क' राजपत्रित) | स्तर- 15 (182200-224100 रूपये) |
| | कुल | 54 | | |

**टिप्पण 1:** प्रत्येक ग्रेड में रिक्तियां सबसे पहले फीडर ग्रेड के उन वैज्ञानिकों से भरी जाएंगी, जिन्हें स्कीम के अधीन अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए सिफारिश किया गया है। यदि स्कीम के अधीन अगले ग्रेड में प्रोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए सिफारिश किए गए वैज्ञानिकों की संख्या प्रोन्नति ग्रेड में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक है, तो उस सीमा तक पदों की संख्या स्वचालित रूप से प्रोन्नति ग्रेड में अपग्रेड हो जाएगी, परन्तु सभी ग्रेड की संयुक्त स्वीकृत संख्या समान रहे। कार्मिकों की कमी के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियां साधारण रूप से संबंधित वैज्ञानिक श्रेणी के प्रवेश स्तर ग्रेड में वापस आ जाएंगी।

**टिप्पण 2:** वैज्ञानिक 'एच' के पदों को संशोधित नमनीय अनुपूरक स्कीम के दायरे से बाहर रखा गया है।

**टिप्पण 3:** वैज्ञानिक 'ई' के लिए कोई स्वीकृत पद नहीं है, क्योंकि इसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 9 नवम्बर, 1998 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/41/97-पीआईसी के आलोक में सृजित किया गया है।

**द्वितीय अनुसूची**

**[नियम 4(1), 4(2), 5(1), 6(1) और 7(1)] को देखें।**

**भाग-I**

**शैक्षणिक अर्हता:**

**(क) वैज्ञानिक 'सी' के लिए:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जीवन विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/जैव रसायन या कम्प्यूटेशनल या फार्मास्युटिकल या कृषि या पशु चिकित्सा विज्ञान या संबंधित विषयों में से किसी भी विषय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी); या इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या रासायनिक या जैव चिकित्सा या जैव प्रौद्योगिकी या बायोफार्मा; में पीएचडी या चिकित्सा की किसी भी शाखा में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (एमडी)।

**(ख) वैज्ञानिक 'एच' के लिए**: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जीवन विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी या जैव रसायन या कम्प्यूटेशनल या फार्मास्युटिकल या कृषि या पशु चिकित्सा विज्ञान या संबंधित विषयों में से किसी भी विषय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी); या इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या रासायनिक या जैव चिकित्सा या जैवप्रौद्योगिकी या बायोफार्मा में पीएचडी या चिकित्सा की किसी भी शाखा में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (एमडी)।**भाग- 2**

| **क्रम सं.** | **पद का नाम** | **स्कीम में निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के बाद अपेक्षित न्यूनतम अनुभव** | **सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु-सीमा** |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | वैज्ञानिक 'सी' | -- | पैंतीस वर्ष |
| 2. | वैज्ञानिक 'एच' | जैवप्रौद्योगिकी/जीवन विज्ञान के क्षेत्र में बीस वर्ष का अनुसंधान एवं विकास संबंधी अनुभव | पचास वर्ष |

**टिप्पण 1:** वैज्ञानिक 'एच' के पद के लिए अनुसंधान एवं विकास या प्रबंधन एवं प्रशासन या योजना या औद्योगिक या शैक्षणिक संस्थानों या जैव प्रौद्योगिकी के व्यापक परिप्रेक्ष्य के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों में दायित्वपूर्ण पद पर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।

**टिप्पण 2:** वैज्ञानिक 'सी' और 'एच' के लिए ऊपरी आयु-सीमा में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

[फा. सं. ए-12018/2/2024-स्था.-डीबीटी(ई19630)]

एकता विश्नोई, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**

**(Department of Biotechnology)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th March, 2025

**G.S.R. 208(E).—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Biotechnology, (Group 'A' Scientific Posts) Recruitment Rules, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Scientific posts in the Department of Biotechnology, namely:-

1. **Short title and commencement.- (1)** These rules may be called the Ministry of Science and Technology, Department of Biotechnology (Group 'A' Scientific posts) Recruitment Rules, 2025.

   **(2)** They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

   **(a)** "cadre controlling authority" means the Secretary in the Department of Biotechnology;

   **(b)** "candidate" means a person who is eligible for consideration for any post specified in the First Schedule;

   **(c)** "competent authority" means the authority specified by the Central Government as such, from time to time;

   **(d)** "Department" means the Department of Biotechnology;

   **(e)** "post" means a Scientific post as defined in the Scheme;

   **(f)** "Schedule" means a Schedule appended to these rules; and

   **(g)** "Scheme" means the Revised Flexible Complementing Scheme as issued by the Department of Personnel and Training, *vide* O.M. No. AB-14017/41/2013-PP(RR) dated the 13th March, 2024;

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix**.- The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in the First Schedule.

4. **Educational qualifications, experience, method of recruitment, etc.- (1)** The educational qualification for the post shall be as specified in Part-I of the Second Schedule and specific qualification(s), as may be required for the post concerned shall be decided by the cadre controlling authority and indicated in the advertisement.

   **(2)** The candidate for the post of Scientist 'H' shall have the experience in research and development in industrial or academic institutions or an organisation of science and technology as specified in Part-II of the Second Schedule.

   **(3)** **(a)** The recruitment for the post of Scientist 'C' shall be made by direct recruitment.

   **(b)** The recruitment for the post of Scientist H, shall be made either by direct recruitment or on deputation or absorption basis.

   **(c)** The cadre controlling authority shall decide the particular method of appointment for each vacancy of Scientist H before advertising the post and shall be indicated in the advertisement.

   **(d)** The recruitment for the posts of Scientists 'D', 'E', 'F' and 'G' shall be made by promotion or upgradation under the Scheme on completion of minimum residency period in the existing grade as specified in sub-rule (2) of rule 8.

   **(4)** Any recruitment made by the method specified in sub-rule (3) shall be made on the recommendation of the Committees referred to in rule 9.

   **(5)** The committees referred to in sub-rule (4) shall make their recommendations on the basis of interview held with candidates for all posts filled under method of recruitment under clauses (a) and (b) of sub-rule (3) and on the basis of interview and evaluation of past performance of scientists in the Department for all posts filled by the method of recruitment under clause (d) of sub-rule (3):

   Provided that for making recruitment to the posts, the committee referred to in sub-rule (4) shall comply with the methodology of assessment or selection [including the number of candidates to be called against vacancies advertised in terms of sub-rules (1) and (2)] which has been duly approved by the competent authority before making advertisement for recruitment for the post.

5. **Age-limit and nationality.- (1)** The upper age-limit for direct recruitment shall be as specified in column (4) of Part-II of the Second Schedule.

   **(2)**The upper age-limit for post in Scientist 'H' to be filled on deputation basis shall be fifty-eight years.

   **(3)**The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates against the advertisement.

   **(4)**Only an Indian citizen shall be eligible for appointment against the posts.

6. **Direct recruitment.- (1)** The candidate possessing the educational qualification and experience as specified in the Second Schedule shall be eligible for appointment by direct recruitment in the manner specified in sub-rule (5) of rule 4, on the recommendations of the committee referred to in sub-rule (4) of rule 4.

**(2)**Every officer on appointment to the posts of Scientists 'C' and 'H' on direct recruitment basis shall be on probation for a period of one year.

Provided that the cadre controlling authority may extend the period of probation in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**(3)**The confirmation of the candidate appointed on probation under sub-rule (2) shall be considered by the Departmental Confirmation Committee specified in sub-rule (7) of rule 9.

**7. Deputation (including short-term contract)/absorption.- (1)** The candidate from other Ministries or Departments of the Central Government or the State Governments or Union territories or Central Universities or State Universities or public sector undertakings or autonomous statutory bodies or institutions may be appointed on deputation basis for the posts specified in clauses (b) and (c) of sub-rule (3) of rule 4 in the manner specified in sub-rules (4) and (5) of rule 4 subject to the fulfillment of the following conditions, namely:-

**(a)** the candidate possesses minimum educational qualification and experience as specified in the Second Schedule;

**(b)** the candidate holds a post analogous to the post applied for or has worked for at least five years on the immediate lower post on regular basis in the parent cadre or Department;

**(c)** the upper age-limit for candidates recommended for appointment on deputation shall be as per the provisions of sub-rule (2) of rule 5.

**(2)**The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the present appointment on deputation in the same or some other organisation or department of the Central Government, shall ordinarily be five years.

**(3)**The vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government possessing the educational qualifications specified for direct recruitment.

**(4)**The candidate from the Central Government or the State Government or Union territory shall be eligible for absorption under clause (b) and (c) of sub-rule (3) of rule 4 in the manner specified in sub-rules (4) and (5) of rule 4.

**8. Promotion through the Revised Flexible Complementing Scheme.-(1)** Promotion or upgradation of Scientists to the grade of Scientist 'D' upto Scientist 'G' shall be as specified under the Scheme.

**(2)** Promotion or upgradation of Scientists to the grade of Scientist 'D' upto Scientist 'G' shall be as per the minimum residency period indicated below and compliance with other provisions specified in the Scheme, namely:-

| Level in pay-matrix | Name of post | Minimum Residency Period linked to Performance |
|---|---|---|
| Level-12 | Scientist 'D' | four years as Scientist 'C' |
| Level-13 | Scientist 'E' | four years as Scientist 'D' |
| Level-13A | Scientist 'F' | five years as Scientist 'E' |
| Level-14 | Scientist 'G' | five years as Scientist 'F' |

**(3)** The Scientists shall fill up the Annual Work Report and Annual Performance Appraisal Report, in the format provided for in the Scheme, mandatorily on an annual basis.

**(4)** There shall be two level of assessment under the Scheme namely Level 1 Screening (Internal Screening Committee) and Level 2 Screening (Assessment Board or Departmental Peer Review Committee) as referred to in rule 9.

**(5)** The assessment shall be done twice in a year and cases of those Scientists who have completed or may complete the minimum residency period as on the cut-off dates of assessment viz., 1st January or 1st July, as the case may be, and have earned or may earn number of annual Annual Performance Appraisal Reports equal to or more than the number of years of minimum residency period for the period preceding the cut off dates of assessment, shall be considered for assessment under the scheme.

**(6)** Scientist who does not qualify either in Level-1 screening or Level-2 screening shall be re-assessed only after one year when they earn at least one more Annual Performance Appraisal Report and Annual Work Report and such re-assessment shall again entail Level-1 and Level-2 Screening and not commence from the stage where the Scientist failed to qualify.

**(7)** The assessment process under the Scheme for promotion or upgradation to the next grade shall be conducted only thrice, and thereafter, the scientist shall be covered under Modified Assured Career Progression as approved for the Central Government civilian employees.

**(8)** The scientist who has been granted any grade under Modified Assured Career Progression may be considered for next grade as provided for in the Scheme.

**(9)** Scientists doing management or administrative work shall not be considered for promotion or upgradation under the Scheme and they shall only be given benefit of upgradation under Modified Assured Career Progression.

**(10)** The date of promotion or upgradation of Scientists recommended for promotion or upgradation to the next higher grade under the Scheme shall be the date on which the competent authority approved the promotion or upgradation.

**(11)** The officers on leave or deputation outside the organisation can be given promotion only with effect from the date they rejoin or return to the parent cadre.

**(12)** There shall be no retrospective promotion or upgradation.

**(13)** Field experience, in research and development or experience in implementation of scientific projects, of atleast two years for promotion to Scientist 'F' and five years for promotion to Scientist 'G' shall be essential.

**(14)** Treatment of period of leave, period spent on deputation or foreign service, etc., towards counting of minimum residency period shall be as specified in the Scheme.

**9. Constitution of committees.- (1)** There shall be a Selection Committee for making recommendation to the posts specified in the First Schedule consisting of the following persons, namely:-

| Sr.No | Name of post. | Composition of Selection Committee. |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Scientist ‘C’ | 1. Secretary of the Department – Chairman;<br>2. Two experts from outside the Department to be nominated by the Secretary of the Department who shall be an officer not below level-14 – Members;<br>3. Joint Secretary in-charge of administration in the Department – Member Administration. |
| 2. | Scientist ‘H’ | 1. Secretary of the Department – Chairman;<br>2. Two Secretaries of the other Scientific Departments to be nominated by Secretary of the Department – Members;<br>3. Two experts specialising in the field of Scientific activity from outside the Department to be nominated by the Secretary of the Department – Members;<br>4. To be nominated by Secretary of the Department. – Member Administration. |

**(2)** The Internal Screening Committee as referred under sub-rule(4) of rule 8 for Level-1 screening and shortlisting of candidates for the posts specified in column (2) below, whose report shall be placed before the committees referred to in sub-rules (3) and (4), as the case may be, shall consist of the following persons, namely:-

| Sr.No | Name of post. | Composition of Internal Screening Committee. |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | For promotion or upgradation to the grade of Scientist ‘D’ upto Scientist ‘F’ | 1. Secretary of the Department or a Scientist who shall not be below the rank of Scientist ‘H’ – Chairman;<br>2. A nominee of the Department of Atomic Energy or Department of Space or Defence Research and Development Organisation in rank of Scientist ‘G’ or above – Expert Member;<br>3. An officer not below level-14 with administrative background to be nominated by Joint Secretary (Administration) of the Department – Member Administration. |
| 2. | For promotion or upgradation to the grade of Scientist ‘G’ | 4. Secretary of the Department or a Scientist who shall not be below the rank of Scientist ‘H’ – Chairman;<br>5. A nominee of the Department of Atomic Energy or Department of Space or Defence Research and Development Organisation in rank |

| | | |
|---|---|---|
| | | of Scientist 'H' or above – Expert Member;<br>6. An officer not below level-15 with administrative background to be nominated by Secretary of the Department – Member Administration. |

**(3)** The Assessment Board as referred under sub-rule(4) of rule 8 for Level-2 screening, shall consist of the following persons, namely:-

| Name of post. | Composition of Assessment Board. |
|---|---|
| (1) | (2) |
| For promotion or upgradation to the grade of Scientist 'D' upto Scientist 'E' | 1. Secretary of the Department – Chairman;<br>2. Two experts from outside the Department to be nominated by the Secretary of the Department who shall be the officers not below level-14 – Expert Members;<br>3. Joint Secretary in-charge of administration in the Department – Member Administration. |

**(4)** The Departmental Peer Review Committee as referred under sub-rule(4) of rule 8 for Level-2 screening, shall consist of the following persons, namely:-

| Sr. No. | Name of post. | Composition of Departmental Peer Review Committee. |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | For promotion or upgradation to the grade of Scientist 'F' | 1. Secretary of the Department – Chairman;<br>2. Two Secretaries of the other Scientific Departments (or their representatives who are not below the rank of Joint Secretary) to be nominated by the Secretary of the Department – Members;<br>3. Two eminent Scientists not below the rank of Joint Secretary specialised in the field of scientific activity to be nominated by Secretary of the Department – Members;<br>4. Joint Secretary rank officer to be nominated by Department of Personnel and Training – Member Department of Personnel and Training. |
| 2. | For promotion or upgradation to the grade of Scientist 'G' | 1. Secretary of the Department – Chairman;<br>2. Two Secretaries of the other Scientific Departments (or their representatives who are at least in Additional Secretary rank) to be nominated by the Secretary of the Department – Members;<br>3. Two eminent Scientists not below the rank of Additional Secretary specialised in the field of scientific activity – Members;<br>4. An officer not below the rank of Additional Secretary to be nominated by the Department of Personnel and Training – Member Department of Personnel and Training. |

**(5)** No person who is a recipient of grants or funding from the Department or who is closely related to such a recipient shall be invited as a member of any committee constituted under this rule.

**(6)** Where officers of the Government, autonomous bodies and public sector undertakings are nominated as members of the committees, they shall be at least one level above the post to which the appointment is being recommended to be made under sub-rule (3) of rule 4.

**(7)** There shall be a Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of the following persons, namely:-

| Sr. No. | Name of post. | Composition of Departmental Confirmation Committee |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Scientist 'C' | 1. Secretary of the Department or Scientist 'G' rank officer of the Department to be nominated by the Secretary of the Department – Chairman;<br>2. One Scientist 'G' rank Officer, to be nominated by the Secretary of the Department – Member;<br>3. One Scientist from outside the Department from other Scientific Departments of Government of India in rank of Scientist 'G', to be nominated by the Secretary of the concerned outside Department – Member;<br>4. Joint Secretary in-charge of Administration in the Department – Member Administration. |
| 2. | Scientist 'H' | 1. Secretary of the Department – Chairman;<br>2. Two scientists working in the Government Departments in the rank of Secretary – Members; |

**10. Disqualifications.-** No person,-

**(a)** Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

**(b)** who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the posts:

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**11. Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**12. Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and the other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**13. Application of provisions of Scheme.-** Anything not mentioned in these rules shall be governed by the provisions of the Scheme.

**FIRST SCHEDULE**

**[See rules 2(b), 2(f), 3, and 9(1)]**

| Sr.No. | Name of post | Number of posts. | Classification. | Level in pay matrix as per 7th CPC |
|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Scientist 'C' | 31 | General Central Service (Group 'A', Gazetted) | Level-11 (Rs.67700- 208700) |
| 2. | Scientist 'D' | 12 | General Central Service (Group 'A', Gazetted) | Level-12 (Rs.78800- 209200) |
| 3. | Scientist 'E' | Nil | General Central Service (Group 'A', Gazetted) | Level-13 (Rs.123100- 215900) |
| 4. | Scientist 'F' | 6 | General Central Service (Group 'A', Gazetted) | Level-13A (Rs.131100- 216600) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Scientist 'G' | 1 | General Central Service (Group 'A', Gazetted) | Level-14 (Rs.144200- 218200) |
| 6. | Scientist 'H' | 4 | General Central Service (Group 'A', Gazetted) | Level-15 (Rs.182200- 224100) |
| | | Total = 54 | | |

**Note 1**: The vacancies in each grade shall be first filled from the Scientists in the feeder grade who are recommended for promotion to the next higher grade under the scheme. If the number of Scientists recommended for consideration of promotion to the next grade under the scheme are more than the number of vacancies available in the promotion grade, then to that extent the number of posts be automatically upgraded to the promotion grade subject to the condition that the combined sanctioned strength of all the grades shall remain the same. Vacancies arising due to attrition shall normally revert to the entry level grade of the respective Scientific category.

**Note 2**: The posts of Scientist 'H' are excluded from the purview of Revised Flexible Complementing Scheme.

**Note 3**: There is no sanctioned post of Scientist 'E', since it was introduced in the light of Department of Personnel and Training Office memorandum No. 2/41/97-PIC, dated the 9th November, 1998.

**SECOND SCHEDULE**

**[See rules 4(1), 4(2), 5(1), 6(1) and 7(1)]**

**PART-I**

**Educational qualification:**

**(A)** For Scientist 'C': Doctor of Philosophy (Ph.D.) in any discipline of Life Sciences or Biotechnology or Biochemistry or Computational or Pharmaceutical or Agricultural or Veterinary Sciences or related disciplines; or Ph.D. in Engineering or Technology – Chemical or Biomedical or Biotechnology or Biopharma; or Doctor of Medicine (M.D.) in any branch of medicine from a recognised University or institute.

**(B)** For Scientist 'H': Doctor of Philosophy (Ph.D.) in any discipline of Life Sciences or Biotechnology or Biochemistry or Computational or Pharmaceutical or Agricultural or Veterinary Sciences or related disciplines; or Ph.D. in Engineering or Technology – Chemical or Biomedical or Biotechnology or Biopharma; or Doctor of Medicine (M.D.) in any branch of medicine from a recognised University or institute.

**PART-II**

| Sl. No. | Name of post. | Minimum experience required after possessing the minimum educational qualifications prescribed in the Scheme. | Upper age-limit for direct recruitment. |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Scientist 'C' | Not applicable | Thirty-five years |
| 2. | Scientist 'H' | Twenty years Research and Development experience in the field of Biotechnology or Life Sciences | Fifty years |

**Note 1:** The experience for the post of Scientist 'H' shall be in responsible position of work in research and development or management and administration or planning or industrial or academic institutions or Science and Technology organisations with a broad perspective of biotechnology.

**Note 2:** The upper age-limit for Scientist 'C' and Scientist 'H' shall be relaxable for the Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

[F. No. A-12018/2/2024-ESTT-DBT(E19630)]

EKTA VISHNOI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.03.29 00:35:03 +05'30'